क्रम-संख्या--157

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्सर्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 20 मार्च, 1982

फाल्गुन 29, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 906/सत्रह-वि०-1--23-1977

लखनऊ, 20 मार्च, 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 18 मार्च, 1982 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1982)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर अधिनियम संख्या 33 सन् 1952 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 की धारा 3 में, उपधारा (5) में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा और दिनांक 1 जून, 1976 से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात्—

"(ङ) जनता सर्विस कनेक्शन योजना के अधीन किये गये सम्भरण पर रोशनी के लिए उपभुक्त एनर्जी ।

स्पष्टीकरण:—खण्ड (ङ) के प्रयोजनों के लिये "जनता सर्विस कनेक्शन योजना" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में हरिजनों, भूमिहीन श्रमिकों, कृषकों (जिनके पास एक एकड़ से अधिक भूमि न हो) सशस्त्र बल के सदस्यों (चाहे सेवारत हों या सेवा निवृत्त हों), युद्ध विधवाओं और अन्य निर्बल वर्गों को एनर्जी के सम्भरण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अनुमोदित योजना से है ।"

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव ।

No. 906 (2) /XVII-V-1—23-1977

Dated Lucknow, March 20, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 18, 1982 :

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (DUTY) (AMENDMENT) ACT, 1982

(U. P. Act No. 12 of 1982)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

Act

to amend the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952.

It is hereby enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1982.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 3 of U. P. Act no. 33 of 1952.

2. In section 3 of the U.P. Electricity (Duty) Act, 1952, in sub-section (5) *after* clause (*d*) the following clause shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* with effect from June 1, 1976, namely :—

"(*e*) Energy consumed in light upon supplies made under the Janta Service Connection Scheme.

Explanation :—For the purposes of clause (e) "Janta Service Connection Scheme" means a scheme approved by the State Electricity Board for supplying Energy to Harijans, landless labourers, farmers (holding land not exceeding one acre), members of armed forces (whether serving or retired), war widows and other weaker sections in districts notified by the State Government."

By order,

G. B. SINGH,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 376 सा० (विधा०)—22-3-82—(4229)—1982—700 (मेके०)